प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, : बिलासपुर

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4749/2010

याचिकाकर्ता: पंकज कुमार पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4750/2010

याचिकाकर्ता: आशीष कुमार शुक्ला

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4748/2010

याचिकाकर्ता: कुमार कनिष्का

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 3873/2010

याचिकाकर्ता: विजय कांत पांडे

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 4005/2010

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

याचिकाकर्ता: प्रीति रूसिया

बनाम

उत्तरवादीगण: छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अंतर्गत रिट याचिका)

एकल पीठ: माननीय श्री सतीश के. अग्निहोत्री, न्यायमूर्ति

उपस्थित: श्री ओ.पी. यादव, श्री बी.पी. राव और श्री हर्ष वर्धन,

संबंधित याचिकाकर्ताओं के अधिवक्तागण।

श्री एम.पी.एस. भाटिया, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य के लिए।

श्रीमती फराह मिन्हाज, अधिवक्ता, श्री काशिफ शकील की ओर से,

भारत संघ के लिए अधिवक्ता।

<u>आदेश (मौखिक)</u>

(दिनांक 31 अगस्त, 2010 को पारित)

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. याचिकाकर्ता, याचिकाओं के इस बैच में, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित विभिन्न महाविद्यालयो में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश की मांग कर रहे हैं। इस प्रकार, इन सभी याचिकाओं में शामिल विधि और तथ्यों का प्रश्न समान है और कार्रवाई के समान कारण से उत्पन्न होता है। इसलिए, इन याचिकाओं का निराकरण इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं के अनुसार, याचिकाकर्ता पूर्व-बी.एड. परीक्षा में उपस्थित हुए और उसके बाद, याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। काउंसलिंग के दौरान, याचिकाकर्ताओं को इस तथ्य के बावजूद स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में 50% कुल अंक दिखाने के लिए कहा गया कि एक परिपत्र में 45% अंक दर्शाए गए थे। याचिकाकर्ताओं को काउंसलिंग में

उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी गई। तत्पश्चात, याचिकाकर्ताओं ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किए, लेकिन उन्हें अभी तक विचाराधीन नहीं लिया गया है और निर्णय नहीं लिया गया है। अतः ये याचिकाएँ प्रस्तुत की गई है।

3. याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि एक बार चयन की प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, चयन मानदंड, जिसमें पात्रता भी शामिल है, को बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा की तैयारी में अपना समय व्यतीत किया है और उन्होंने भारी राशि भी खर्च की है। इस प्रकार, उत्तरवादी अधिकारियों की आक्षेपित कार्रवाई अवैध, मनमानी और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. दूसरी ओर, राज्य के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करता है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (जिसे संक्षेप में "एनसीटीई" कहा जाता है) द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार, माध्यमिक शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम में स्नातक के लिए प्रवेश हेतु मानदंड और मानक हैं। शिक्षा (बी.एड.) डिग्री, पात्रता मानदंड यह है कि उम्मीदवारों के स्नातक डिग्री में कम से कम पचास प्रतिशत अंक हों और/या मास्टर डिग्री या कोई अन्य समकक्ष अर्हतादायी हो, वे बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। विद्वान अधिवक्ता आगे प्रस्तुत करता है कि 'शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षा' का क्षेत्र समवर्ती

सूची की प्रविष्टि 25 के अंतर्गत आता है, जिसे सातवीं अनुसूची की संघ सूची की प्रविष्टि 66 के साथ पढ़ा जाए। राज्य को भारत संघ अर्थात राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी नियमों/अधिसूचनाओं के उल्लंघन में नियम बनाने का कोई अधिकार नहीं है। राज्य सूची में 'शिक्षक प्रशिक्षण' से संबंधित कोई प्रविष्टि नहीं है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना है, और याचिकाओं तथा संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. याचिकाकर्ताओं ने, दिनांक 12.7.2010 की ऑनलाइन सूचना के अनुसार, [अनुलग्नक पी/4 से रिट याचिका सिविल संख्या 4749/2010] प्री-बी.एड. परीक्षा में बी.एड. पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया, 2010-11। अधिसूचना में निर्धारित न्यूनतम अर्हतादायी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में 50% की अर्जन थी, जैसा कि छत्तीसगढ़ बी.एड. प्रवेश नियम, 2006, (संक्षेप में 'नियम, 2006') के अनुसार है। नियम 4(बी) में निर्धारित न्यूनतम अर्हतादायी को अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 [अनुलग्नक पी/3 से रिट याचिका सिविल संख्या 4749/2010] द्वारा संशोधित और 45% तक कम कर दिया गया था। हालांकि, ऑनलाइन अधिसूचना के खंड 2.9 में उल्लेख किया गया था कि स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में न्यूनतम

अर्हक अंक 50% थे, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किया गया था। याचिकाकर्ताओं ने 20.05.2010 को आयोजित प्री-बी.एड. परीक्षा में भाग लिया और 44.444%, 37.374%, 51.515%, 43.434% और 39.394% अंक प्राप्त किए। हालांकि, याचिकाकर्ताओं को इस आधार पर काउंसलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया गया कि स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में न्यूनतम अर्हक अंक 50% से कम थे।

7. याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि एक बार राज्य सरकार ने नियम, 2006 में संशोधन किया है, स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में न्यूनतम अर्हक अंकों को 50% से 45% तक कम करके, वही प्रभाव दिया जाना चाहिए था क्योंकि उसके बाद राज्य सरकार द्वारा कोई संशोधन नहीं किया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

8. समान विषय इस न्यायालय के समक्ष मुकेश सिंह ठाकुर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य और अन्य में विचार के लिए आया था, जिसमें इस न्यायालय ने इस प्रकार अवलोकन किया:

> **"16. उपरोक्त उद्धृत विभिन्न मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करते हुए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि राज्य सरकार बी.एड पाठ्यक्रमों**

में प्रवेश के लिए आवश्यक अर्हतादायी में संशोधन करने में पूर्णतः न्यायसंगत है, क्योंकि 20 अप्रैल, 2006 को राजपत्र में अधिसूचित राज्य नियम, 2006 में निर्धारित योग्यता, शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में शिक्षा के स्तर को विनियमित और निगरानी करने का पूर्ण अधिकार रखने वाले एनसीटीई द्वारा बनाए गए विनियम, 2006 के अनुरूप नहीं थी। राज्य सरकार एनसीटीई द्वारा निर्धारित मानकों के प्रतिकूल या उनसे निम्न कोई मानक निर्धारित नहीं कर सकती। इसके अलावा, परीक्षा में उपस्थित होकर लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को तत्कालीन प्रचलित नियमों के अनुसार अपने दावों पर विचार किए जाने की वैध अपेक्षा थी। (संदर्भ: मध्य प्रदेश राज्य बनाम रघुवीर सिंह यादव (1994) 6 एससीसी 151)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम, 2006 को 20 अप्रैल, 2006 को अधिसूचित किया गया था। उस समय, एनसीटीई द्वारा योग्यता के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं था। एनसीटीई द्वारा बनाए गए विनियम, 2006, जिसमें बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता यानी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में 50% से कम अंक न

होने का मानदंड निर्धारित किया गया था, को 20 जुलाई, 2006 को अधिसूचित किया गया था, जो भविष्य में राज्य नियम, 2006 पर प्रभावी होगा। प्री बी.एड परीक्षा, 2007 का प्रॉस्पेक्टस अप्रैल, 2007 में जारी किया गया था। राज्य सरकार ने नियमों, 2006 में कोई संशोधन नहीं किया ताकि एनसीटीई द्वारा विनियमों, 2006 में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवश्यक योग्यता निर्धारित की जा सके। 6 जून, 2007 की राजपत्र अधिसूचना द्वारा नियम 4(ख) में किया गया बाद का संशोधन त्रुटिहीन नहीं है, क्योंकि यह संशोधन एनसीटीई द्वारा विनियमों, 2006 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप बी.एड पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए योग्यता निर्धारित करने के लिए किया गया था।"

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

9. इसमें कोई आक्षेप नहीं है कि परिशिष्ट 4, अर्थात्, शिक्षा स्नातक कार्यक्रम (बी.एड) डिग्री के लिए मानदंड और मानक, जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2007 (संक्षेप में 'विनियम, 2007') से जुड़ा हुआ है, जिसे 27 नवंबर, 2007 को अधिसूचित किया गया था, भारत के राजपत्र में प्रकाशित, यह निर्धारित करता है कि **"**स्नातक डिग्री और/या मास्टर डिग्री या किसी अन्य समकक्ष अर्हतादायी में कम से कम 45% अंक वाले

उम्मीदवार कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं। तदनुसार, ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार ने, अधिसूचना दिनांक 14.02.2008 द्वारा, स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में अर्हतादायी को 50% से घटाकर 45% कर दिया। तत्पश्चात, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और प्रक्रिया) विनियम, 2009 (संक्षेप में 'विनियम, 2009') 31 अगस्त, 2009 से प्रभावी हुए। भारत के राजपत्र में प्रकाशित। अधिसूचनाएँ राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम, 1993 की धारा 32 की उप-धारा (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई थीं, जो विनियम, 2007 का अधिक्रमण करती हैं, जिसके द्वारा मानदंडों के खंड 3(2) में न्यूनतम अर्हतादायी 45% से बढ़ाकर 50% कर दी गई थी (परिशिष्ट 4 विनियम, 2009), जैसा कि नीचे दिया गया है:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"3. प्रवेश, पात्रता और प्रवेश प्रक्रिया

(1) **प्रवेश**

XXX XXX XXX

(2) पात्रता

(क) स्नातक डिग्री और/या मास्टर डिग्री या किसी अन्य समकक्ष अर्हतादायी में कम से कम पचास प्रतिशत अंक वाले उम्मीदवार कार्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र हैं।

XXX XXX XXX

XXX XXX XXX"

10. तदनुसार, 31 अगस्त, 2009 के बाद, न्यूनतम अर्हतादायी स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री या किसी अन्य समकक्ष अर्हतादायी में 50% अंक थी। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं का यह तर्क कि प्रवेश नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ था, राज्य सरकार को पूर्व-बी.एड. परीक्षा के लिए नोटिस जारी होने के बाद नियमों को बदलने की अनुमति नहीं दी जा सकती, पर पूरी तरह से विचार किया गया है और मुकेश सिंह ठाकुर (पूर्वोक्त) में यह निर्णय लिया गया है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में 50% अंक रखने की अर्हतादायी को 45% तक कम नहीं किया जा सकता है। विनियम, 2009 को 31 अगस्त, 2009 को विधिवत अधिसूचित किया गया था और बी.एड. पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश कार्यक्रम 12.07.2010 (अनुलग्नक पी/4) को ऑनलाइन अधिसूचित किया गया था। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं के तर्कों को खारिज कर दिया जाता है। सरकार का किसी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उम्मीदवार को प्रवेश न देने का निर्णय, भले ही वह पूर्व-बी.एड. परीक्षा में सफल रहा हो, लेकिन उसके 50% से कम अंक हैं। स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में अंक, न्यायसंगत और उचित हैं और हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

11. मुकेश सिंह ठाकुर (पूर्वोक्त) में, यह देखा गया कि याचिकाकर्ता राज्य सरकार द्वारा अर्हतादायी के निर्धारण में किए गए गलत प्रतिनिधित्व के आधार पर उपस्थित हुए, एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हतादायी में बदलाव के बावजूद। उस मामले में, याचिकाकर्ताओं को भुगतान की गई राशि और काउंसलिंग शुल्क वापस करने का पात्र माना गया था। वर्तमान मामले में, राज्य सरकार द्वारा इसी तरह का गलत प्रतिनिधित्व किया गया है। नियमों को 14.02.2008 को अर्हक अंकों को कम करके 50% से 45% तक संशोधित किया गया था, जो विनियम, 2007 में निर्धारित अर्हतादायी के अनुसार किया गया हो सकता है। इसके बाद, न्यूनतम अर्हतादायी को विनियम, 2009 द्वारा स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में 50% अंकों में संशोधित किया गया। राज्य सरकार ने तदनुसार अपने नियमों में कोई संशोधन नहीं किया। मुकेश सिंह ठाकुर (पूर्वोक्त) में यह माना गया है कि कोई भी अर्हतादायी जो एन.सी.टी.ई. द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित निर्धारित अर्हतादायी के उल्लंघन में तय की गई है, वह गलत थी। राज्य सरकार को तदनुसार अपने नियमों में संशोधन करना चाहिए था।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

12. पूर्वोक्त विश्लेषण से और मुकेश सिंह ठाकुर (पूर्वोक्त) के अवलोकन के आलोक में, यह माना जाता है कि स्नातक/स्नातकोत्तर डिग्री में 50% अंक होने की अर्हतादायी को कम नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार, याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा दिनांक 14.02.2008 को पूर्व-बी.एड. परीक्षा में उपस्थित होने के लिए किए गए संशोधनों के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया है, जो एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित नियमों के विपरीत है।

13. तदनुसार, सभी रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. हालांकि, राज्य सरकार के इस रवैये को देखते हुए कि उसने समय-समय पर एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित न्यूनतम निर्धारित अर्हतादायी के बारे में उम्मीदवार को ईमानदारी से सूचित नहीं किया, प्रत्येक याचिकाकर्ता, चूंकि पीड़ित हुआ है, को रुपये 15,000/- की दर से मुआवजा देने का पात्र है, जिसमें उनके द्वारा आवेदन पत्र भरने और परामर्श शुल्क के लिए किए गए सभी भुगतानों की वापसी भी शामिल है।

सही/-

सतीश के. अग्निहोत्री

न्यायमूर्ति

___00___

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Adv. Shruti Navratna

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur